नम्बर व
जोड़स
तामील

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 05/2020

बउनवान

कन्हैयालाल पुत्र गोरीलाल जाति माली आयु 48 साल निवासी वार्ड नं. 3 जनता टोडी मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

(अपीलांट)

बनाम

1. सूरजमल आयु 50 साल पुत्र स्व0 किशोर – मृतक
1/1. द्वारक्या बाई बेवा सूरजमल आयु 50 साल जाति माली
1/2. महेश पुत्र सूरजमल आयु 25 साल जाति माली
1/3. दिनेश पुत्र सूरजमल आयु 20 साल जाति माली निवासीगण वार्ड नं. 3 जनता टोडी मांगरोल तहसील मांगरोल
1/4. अनिता पुत्री सूरजमल पत्नि बंटी जाति माली निवासी अम्बेडकर सर्किल ट्रक यूनियन के पीछे बांरा जिला बारां
1/5. सुनिता पुत्री सूरजमल पत्नि कमल जाति माली निवासी बमोरीकला तहसील मांगरोल जिला बारां
2. हेमराज आयु 32 साल पुत्र स्व0 किशोर जाति माली निवासी मांगरोल
3. ललताबाई आयु 55 साल पुत्री स्व0 किशोर जाति माली निवासी जनता टोडी मांगरोल हाल नि0 बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां
4. बिरधीबाई आयु 48 साल पुत्री स्व0 किशोर जाति माली निवासी जनता टोडी मांगरोल हाल निवासी तेल फेक्ट्री बारां जिला बारां
5. पार्वतीबाई आयु 30 साल पुत्री स्व0 किशोर जाति माली निवासी मांगरोल
6. कंचनबाई आयु 75 साल बेवा स्व0 किशोर जाति माली निवासी मांगरोल
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

(रेंस्पोडेंट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट [illegible] नं. 2066 दिनांक 22.07.2015 तहसील मांगरोल जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 11:57:12 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :– 1. श्री कमलदीप सिंह हाडा **(अपीलांट)**

निर्णय दिनांक 13.04.2022

अपीलांट की ओर से जरिये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 कम 1 ता 6 के पिता व पति स्व0 किशोर निवासी वार्ड नं. 3 जनता टोडी मांगरोल से उनके शामलाती खसरा नं. 921 रकबा 0.43, खसरा नं. 923 रकबा 0.06,

...रा नं. 924 रकबा 0.05, खसरा नं. 925 रकबा 0.19, खसरा नं. 926 रकबा 0.21, खसरा नं. 928 रकबा 0.21, खसरा नं. 929 रकबा 0.20, खसरा नं. 931 रकबा 0.23, खसरा नं. ...2 रकबा 0.26, खसरा नं. 933 रकबा 0.08, खसरा नं. 934 रकबा 0.07 कुल किता 11 कुल रकबा 1.99 है0 मे से स्व0 किशोर के हिस्से 1/4 (0.49 है0) में से आधी अर्थात 1/8 हिस्सा विक्रय मोबालिक 45000 रूपये में दिनांक 25.07.1995 को रजिस्टर्ड बेचान नामा द्वारा खरीद की गई थी, एवं खरीद दिनांक से ही अपीलांट खरीदशुदा आराजी के हिस्से 1/8 पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। रेस्पो0 1 ता 6 के स्व0 पिता/पति के द्वारा बेचान की गई आराजी का इंतकाल हल्का पटवारी द्वारा नही खोला गया जिसके कारण रेस्पो0 1 ता 6 द्वारा किशोर के स्वर्गवास के पश्चात दिनांक 22.07.2015 को उनके संपूर्ण हिस्सा आराजी पर अपना इंतकाल नं. 2066 खुलवा लिया गया है। इंतकाल नं. 2066 दिनांक 22.07.2015 द्वारा स्व0 किशोर व स्व0 प्रहलाद का इंतकाल खोला गया है अपील में मात्र किशोर के द्वारा बेचान शुदा आराजी हिस्सा 1/8 के कारण उनके वारिसान को पक्षकार बनाकर अपील पेश की जा रही है, एवं प्रहलाद के इंतकाल से कोई सरोकार अपीलांट का नही है। अपीलांट को इंतकाल नं. 2066 दिनांक 22.07.2015 की जानकारी पश्चात इंतकाल की नकल निकलवाई जिससे ज्ञात हुआ की स्व0 किशोर द्वारा अपीलांट को बेचान की गई आराजी हिस्सा 1/8 का इंतकाल अपीलांट के पक्ष में नही खुला है, एवं स्व. किशोर जी के वारिसान के पक्ष में उनके संपूर्ण हिस्से आराजी का इंतकाल खोल दिया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इंतकाल नं. 2066 दिनांक 22.07.2015 स्व0 किशोर जी के हिस्से आराजी तक निरस्त कर रिमाण्ड कर विक्रय पत्र के आधार पर पुनः जांच कर अपीलांट के पक्ष में क्रय शुदा आराजी हिस्सा 1/8 का इंतकाल खोले जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण एकपक्षीय बहस हेतु नियत किया।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा किशोर पुत्र पांच्या जाति माली निवासी मांगरोल से उसके शामलाती खाते में स्थित हिस्से की 1/4 की आराजीयात कुल 0.49 है. में से 1/2 आराजी जर्ये विक्रयपत्र दिनांक 25.07.1995 से क्रय की थी। उक्त क्रयशुदा आराजी का नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पक्ष में नहीं खोला तथा विक्रेता किशोर की मृत्यु होने पर उसके सम्पूर्ण हिस्से की आराजी का फौती नामान्तरकरण वारिसान के पक्ष में खोल दिया गया, जबकि अपीलांट उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त है। अतः ग्राम मांगरोल की नामान्तरकरण संख्या 2066 दिनांक 22.07.2015 स्व0 किशोर के हिस्से तक निरस्त फरमाया जाकर विक्रय पत्र के आधार पर पुनः जांच कर अपीलांट के पक्ष में क्रयशुदा आराजी का इंतकाल खोले जाने का आदेश प्रदान करें।

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 11:57:12 IST
Reason: SelfAttested

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया एवं सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। मृतक किशोर द्वारा अपने जीवनकाल में जरिये

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विवादित आराजीयात के 1/8 हिस्से का विक्रय अपीलांट को दिनांक .07.1995 को किया गया। परन्तु उसके फोत होने पर उसके विरासत का नामान्तरकरण सूरजमल व अन्य वारिसान के हक में खोला गया जबकि किशोर के द्वारा विवादित आराजीयात का विक्रय पूर्व में ही अपीलांट को कर दिया था। अतः विवादित नामान्तरकरण दर्ज करने में त्रुटि की जानी पायी जाती है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम मांगरोल का नामान्तरकरण संख्या 2066 दिनांक 22.07.2015 मृतक किशोर पुत्र पांच्या जाति माली निवासी मांगरोल के हिस्से की आराजी तक निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार मांगरोल को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के पक्ष में क्रयशुदा आराजी का नामान्तरकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 11:57:12 IST
Reason: SelfAttested